संख्या:- 1722/5-9-2005-9(277)/84

प्रेषक,

पी0 के0 मिश्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण, महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ:दिनांक: 23 अगस्त, 2005

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ''आशा'' योजना लागू करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आर0सी0एच0/134/2005-06/1761 दिनांक 03.06.2005 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा देश के सभी नागरिकों को; प्रमुख रूप से निर्धन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित संवेदनशील वर्गो को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने हेतु अप्रैल, 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संचालित किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाना महिलाओं तथा बच्चों को सभी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना है। मिशन के अंतर्गत पोषण, स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल को स्वास्थ्य के साथ समन्वित करने की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। मिशन के अन्तर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, द्वितीय चरण राष्ट्रीय रोग निवारण, समेकित डीजीज सर्विलेंस एवं स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं तथा ''आयुष'' को भी मुख्य धारा में लाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा मिशन के कतिपय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ''आशा'' योजना संचालित करने का भी निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 राज्य में ''आशा'' योजना निम्नवत् लागू करने का निर्णय लिया गया है :-

3. आशा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

आशा समुदाय की ऐसी स्वास्थ्य कर्त्री होगी जो स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में समुदाय की सहायता प्रदान करने के साथ ही आबादी के वंचित वर्गो प्रमुखतया महिलाओं एवं बच्चों को समस्त प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी प्रदान करेगी तथा समुदाय एवं

—— स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। आशा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार है :-

(क) स्वच्छता, पोषण, संतुलित आहार, उपलब्ध चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के उपयोग के संबंध में समुदाय को जानकारी प्रदान कराना तथा जागरूकता उत्पन्न करना।

(ख) गर्भवस्था के दौरान प्रसव तैयारी, सुरक्षित प्रसव का महत्व, स्तनपान, सम्पूरक आहार, टीकाकरण, प्रजनन तंत्र संक्रमण/यौनलक्षित संक्रमण के संबंध में समुचित जानकारी बचाव एवं उपहार के संबंध में महिलाओं को परामर्श प्रदान करना।

(ग) सरकार द्वारा ग्राम/उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध करायी गई स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में जानकारी एवं सहायता प्रदान करना।

(घ) व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार करने के संबंध में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वछता समिति को सहयोग प्रदान करना।

(ड.) गर्भवती महिला अथवा बच्चे को उपचार की आवश्यकता पड़ने पर प्रथम संदर्भन इकाई यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई पर साथ लेकर जाना अथवा संदर्भन के लिए प्रबन्ध करना।

(च) सामान्य रोगों, यथा-दस्त, बुखार, हल्की चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा एवं संशोधित राष्ट्रीय टी0बी0 नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सीधी देख-रेख में डाट्स उपचार प्रदान करना।

(छ) भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जैसे ओ0 आर0 एस0, आयरन की गोलियों, क्लोरोक्विन, डी.डी. किट गर्भ निरोधक गोलियों तथा कंडोम आदि के लिए डिपो बेल्डर का कार्य करेगी।

(ज) अन्धता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतिया बिन्द में ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित करना तथा चिकित्सालय/कैम्प में संदर्भित करना/कुष्ठ रोगियों को चिन्हित करना तथा निदान व उपचार के लिए चिकित्सालय संदर्भित करना। इस कार्य हेतु आशा को विशेष धनराशि देय होगी।

(झ) अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित गाँवों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराना तथा समुदाय में फैलने वाले अन्य रोगों की सूचना उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराना।

(ट) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण के लिए जागरूकता उपत्पन्न करना।

उक्त समस्त भूमिकाओं विशेष रूप से नवजात शिशुओं की देखरेख एवं उनकी बीमारी के संबंध में आशा को सतत प्रशिक्षित किया जायेगा।

4. आँगनबाडी कार्यकर्त्री से तालमेल

आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा को निम्नलिखित कार्यो के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

(क) माह में एक या दो बार स्वास्थ्य दिवस आयोजित किया जायेगा जिसमें महिलाओं एवं किशोरियों को स्वच्छता, पोषण, गर्भावस्था के दौरान देखभाल, टीकाकरण, प्रसव पूर्व जाँच, संस्थागत प्रसव, एवं सामान्य उपचार हेतु परामर्श दिया जायेगा। आँगनबाड़ी केन्द्र में स्वास्थ्य दिवस आयोजन करने, परामर्श एवं पथप्रदर्शन के लिए आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा ए0एन0एम0 को सूचित किया जायेगा।

(ख) आँगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं ए0एन0एम0 द्वारा आशा को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(ग) आँगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा आशा को दवा/किट प्रदान किया जायेगा।

(घ) आँगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा आशा के सहयोग से पात्र दम्पति एवं एक वर्ष के बच्चों की अद्यतन सूची तैयार की जायेगी।

(च) पोषण आहार दिवस पर आशा लाभार्थियों को आँगनबाड़ी केन्द्र में लाने में सहयोग प्रदान करेगी।

(छ) स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं पर पोस्टर, गाम्य नृत्य के माध्यम से समुदाय को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा।

5. ए0 एन0 एम0 के साथ तालमेल

ए0 एन0 एम0 द्वारा निम्नलिखित कार्यो के निष्पादन के संबंध में आशा को मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।

(क) ए0 एन0 एम0 आशा के साथ साप्ताहिक बैठक करेगी और साप्ताहिक कार्यों पर चर्चा करेगी। किसी समस्या के संबंध में आशा का मार्गदर्शन करेगी।

(ख) आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं ए0 एन0 एम0 आशा को प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

(ग) ए0 एन0 एम0 समुदाय में की जाने वाली बैठक व तिथि की सूचना आशा को प्रदान करेगी तथा बैठक में लाभार्थियों को लाने के संबंध में मार्ग दर्शन प्रदान करेगी।

(घ) आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वास्थ्य दिवस आयोजित करने के संबंध में मार्गदर्शन करना एवं भाग लेना।

(च) गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों कोउपकेन्द्र पर लाने में आशा का सहयोग प्राप्त करना।

(छ) ए0 एन0 एम0 परिवार नियोजन हेतु महिलाओं को उपकेन्द्रों पर लाने के लिए आशा को प्रेरित करेगी तथा गर्भनिरोधकों के समुचित उपयोग की जानकारी प्रदान करेगी ।

(ज) ए0 एन0 एम0 आशा को गर्भवती महिलाओं को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं यथा टिटनेस, टीकाकरण, आयरन टेबलेट्स पोषण आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करेगी।

(झ) जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की पहचान के संबंध में आशा को प्रशिक्षित करेगी ताकि सही समय पर संदर्भन व उपचार हो सके।

(ज) ए0 एन0 एम0 द्वारा प्रारंभिक एवं आवधिक प्रशिक्षण के समय तिथि व स्थान की सूचना आशा को प्रदान की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि आशा को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिपूर्ति राशि/अन्य भत्ता आदि प्रशिक्षण स्थल पर मिल जायें ।

(6) आशा का चयन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित जनपद स्वास्थ्य मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक जनपद में आशा का चयन प्रशिक्षण तथा आच्छादन समुचित ढंग से किया जा रहा है। वर्ष 2005 में प्रत्येक जनपद में 40 प्रतिशत आशा का चयन तथा प्रशिक्षण कार्य पूर्ण किया जायेगा। शेष आशा का चयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में पूर्ण किया जायेगा। जनपद स्वास्थ्य समिति आशा के समुचित चयन हेतु पूर्ण उत्तरदायी होगी।

(क) चयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् अवधारित किए जायेंगे

(1) लगभग एक हजार की आबादी पर एक आशा जो उसी गाँव की स्थायी निवासी हो।

(2) प्राथमिकता के तौर पर विवाहित/विधवा/तलाकशुदा महिला जिसकी आयु 25 से 40 वर्ष हो।

(3) कक्षा-8 तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त हों तथा संवाद पटुता नेतृत्वक्षमता एवं समुदाय से बेहतर तालमेल स्थापित करने के गुण हों।

(4) सुविधाओं से वंचित आबादी के समूहों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) चयन प्रक्रिया

जनपदीय स्वास्थ्य मिशन एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को इस योजना के अन्तर्गत जनपदीय नोडल अधिकारी नामित करेगा जो जनपद में स्वास्थ्य विभाग का पूरा भागीदारी सुनिश्चित करेगा। जनपदीय नोडल अधिकारी अन्य विभागों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ भी तालमेल सुनिश्चित करेगा। जनपदीय स्वास्थ्य मिशन प्रत्येक खण्ड में एक खण्ड नोडल अधिकारी भी नामित करेगा जिसमें खण्ड स्तरीय चिकित्सा अधिकारी को वरीयता दी जाएगी जो आशा के चयन, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा आशा के प्रशिक्षण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

खण्ड नोडल अधिकारी प्रत्येक खण्ड में 10 अथवा अधिक फैसिलिटेटर चिन्हित करेगा तथा प्रत्येक फैसिलिटेटर लगभग 10 गाँवों को आच्छादित करेगा। फैसिलिटेटर पद के लिए महिलाओं को वरीयता दी जाएगी जो स्थानीय एन0जी0ओ0, महिला मण्डल/महिला समाख्या, आँगनबाड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्त्री अथवा अन्य सामाजिक सोसाइटी की सदस्य हो सकती है। यदि इनमें से कोई उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय स्कूल अध्यापिका को इस पद हेतु विचारित किया जायेगा। जनपद के समस्त फैसिलिटेटर्स को जनपद स्तर पर आयोजित दो-दिवसीय कार्यशाला में कार्यक्रम तथा चयन प्रक्रिया के बारे में जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा बताया जाएगा तथा उन्हें यह भी समझाया जाएगा कि खण्ड नोडल अधिकारी तथा फैसिलिटेटर्स की आशा

के चयन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये फैसिलिटेटर्स समुदाय में जाकर फोकस्ड ग्रुप/स्थानीय स्वयंसेवी समूह में जाकर चर्चा-परिचर्चा करेंगे तथा समुदाय को आशा की भूमिका/उत्तरदायित्व/समुदाय में स्वीकार्यता आदि के संबंध में विस्तार से बाएंगे जिससे कि अन्ततः प्रत्येक गाँव में तीन सर्वाधिक उपयुक्त नामों की सूची निर्णीत की जा सके।

चयनित तीन नामों में से एक नाम ग्राम सभा की बैठक में सर्वाधिक योग्यता के आधार सर्वाधिक अनुमोदित किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक जिसमें एक नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाएगा, के कार्यवृत्त को अन्ततः ग्राम पंचायत द्वारा जनपदीय नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। इसके पश्चात् ग्राम स्वास्थ्य समिति आशा के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी। जैसा कि ग्राम शिक्षा समिति तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत "सहयोगिनी" योजना में किया जाता है।

यदि किसी गाँव की जनसंख्या अधिक होती है (जैसा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में अनुमानित हीं है) तो निम्नवत् आशा का चयन सुनिश्चित किया जायेगा।

जनसंख्या	आशा की संख्या
1499 तक	1
1500 से 2499 तक	2
2500 से 3499 तक	3
3500 से 4499 तक	4
4500 से 5499 तक	5
5500 से 6499 तक	6 इत्यादि।

यदि किसी गाँव में 2-3 मजरे ऐसे हैं जिनकी आबादी 500-700 है तथा वे क्षेत्र पहुँच की दृष्टि से दुष्कर है तथा स्वास्थ्य सेवाओं से अनाच्छादित है तो इन मजरों में भी कार्यक्रम की दृष्टि से आशा की तैनाती की जा सकती है।

(ग) चयन का मानक

उपयुक्त प्रस्तर-5 (क) में उल्लिखित विन्दुओं के अतिरिक्त आशा के चयन में सर्वाधिक योग्यता निर्धारित करने के लिए निम्न अंक पद्धति अपनायी जायेगी:-

(1) कक्षा 8 पास — 10 अंक (कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का $\frac{1}{10}$

(2) विचार विमर्श की क्षमता, संवाद क्षमता- 2 अंक

(3) नेतृत्व क्षमता — 2 अंक

(4) समुदाय से बेहतर तालमेल क्षमता — 2 अंक

(5) सुविधा से वंचित समूह का अभ्यर्थी — 4 अंक

कुल योग- 20

(7) संस्थागत प्रबन्ध

(क) जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी आशा के चयन प्रक्रिया का निरीक्षण करेगी। जनपद एवं खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी आशा की चयन प्रकिया में ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित कराकर सुगम बनायेंगे।

(ख) आशा की सहायता गाँव की महिला समिति, ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, ए0एन0एम0 आँगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा के प्रशिक्षक एवं स्थानीय दाई करेगी।

(ग) खण्ड स्तर पर गठित खण्ड स्तरीय समन्वय समिति जिसके अध्यक्ष खण्ड नोडल अधिकारी होंगे, कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायतीराज सम्बन्धित अन्य विभाग तथा सिविल सोसाइटी की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। यदि खण्ड स्तर पर कोई उपयुक्त एन0जी0ओ0 उपलब्ध है तो उसे भी समन्वय समिति का सदस्य बनाया जाएगा।

(घ) ग्राम सभा/पंचायत के द्वारा आशा योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य सम्पादित किए जायेंगे।

(क) आशा का चयन।

(ख) आशा को उनके कार्यो में सहयोग।

(ग) ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में आशा की सदस्यता अथवा विशेष आमंत्रण।

(घ) आशा के साथ समन्वय द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करना।

(च) प्रतिपूर्ति राशि का आंशिक भुगतान पंचायत के द्वारा किया जाना।

(छ) यदि क्षेत्र में कोई उपयुक्त एन0जी0ओ0 कार्यरत है तो आशा का पूर्ण चयन सहयोग, प्रशिक्षण आदि का कार्य उसे दिया जा सकता है परन्तु कार्यक्रम का अनुश्रवण खण्ड स्तरीय समन्वय समिति द्वारा ही किया जाएगा।

(ज) राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनपद स्तरीय स्वास्थ्य सोसाइटी तथा जनपदीय नोडल अधिकारियों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य राज्य स्तरीय समन्वयकों/सहयोगी एन0जी0ओ0 संस्थाओं द्वारा कराया जाएगा।

(8) कार्य व्यवस्था:-

आशा अपने कार्यो को निम्नवत् संचालित करेगी:-

(क) सामान्यत: आशा प्रतिदिन दो-तीन घंटे तथा प्रति सप्ताह चार दिन कार्य करेगी (केवल अभियान तथा प्रशिक्षण के दिनों छोड़कर)।

(ख) आँगनबाड़ी केन्द्र पर जिस दिन प्रतिरक्षण/प्रसव पूर्व देखभाल सत्र आयोजित किया जाएगा उस दिन आशा वहाँ पहुँचना सुनिश्चित करेगी।

(ग) प्रत्येक सप्ताह एक दिन वह स्वास्थ्य दिवस आयोजित करेगी जिसमें स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, अन्य औषधि आदि के सम्बन्ध में जानकारी देगी तथा वितरण करेगी।

(घ) अपने घर पर रहकर वह चौबीस घंटे में कभी भी आवश्यक सामग्री का वितरण कर सकेगी तथा जटिलता की स्थिति में महिला अथवा बच्चे को प्रथम संदर्भन इकाई/आर0सी0एच0 कैम्प पहुँचाने/ले जाने में सहायता करेगी।

(च) ग्राम्य स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य/पंचायत समितियां/बैठकों में भाग लेगी तथाअपनी भूमिका के अनुसार सेवाएं/परामर्श प्रदान करेगी।

(9) <u>प्रशिक्षण</u>

(क) **आरम्भिक प्रशिक्षण:-** चयन के पश्चात् आशा को कुल बारह महीनों में 23 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें पहला चक सात दिनों का होगा तथा बाद में चार-चार दिन के चार अन्य प्रशिक्षण चक आयोजित किये जायेंगे।

<u>प्रशिक्षण सामग्री:-</u> आशा की भूमिका के अनुकूल राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जायेगी जो राज्य स्तर पर स्थानीय आवश्यकतानुसार संशोधित की जा सकेगी। इस प्रशिक्षण सामग्री में प्रशिक्षक मार्गदर्शिका प्रशिक्षण एड्स तथा आशा के लिए आवश्यक अन्य उपकरण/सामग्री भी सम्मिलित की जाएगी।

(ख) **<u>आवधिक प्रशिक्षण:-</u>** आरम्भिक प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक दूसरे महीने में लगभग दो दिन का आवधिक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें आशा की समस्याओं का निदान तथा उनकी तकनीकी जानकारी एवं कौशल को बढ़ावा दिया जायेगा। इस दौरान उनके कार्यो का अनुश्रवण सामग्री की पूर्ति तथा किए गए कार्यो हेतु मानदेय का भुगतान भी किया जायेगा। इस प्रकार की बैठकों/प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आशा को विशेष मानदेय देय होगा।

(ग) **<u>कियात्मक प्रशिक्षण:-</u>** आरम्भिक प्रशिक्षण तथा आवधिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त कियात्मक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी। जिस समय ए0एन0एम0 क्षेत्र में आउटरीच सत्र संचालित करेगी उस समय वह गाँव की आशा से सम्पर्क स्थापित करके उसे कियात्मक तथा सतत प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। स्थानीय एन0जी0ओ0 तथा खण्ड स्तरीय फैसिलिटेटर द्वारा भी आशा को उसके कार्यो में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(घ) **<u>प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण:-</u>** राज्य स्तर पर राज्य प्रशिक्षण दल का गठन किया जायेगा जो कमशः जनपदों में जनपदीय प्रशिक्षण दल को प्रशिक्षित करेगा। जनपदीय प्रशिक्षण दल खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण दल को प्रशिक्षित करेंगे। खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण दल आशा के फैसिलिटेटर्स कों आशा के चयन हेतु (दो दिवसीय ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण) प्रशिक्षित करेंगे। खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण दल में उपयुक्त फैसिलिटेटर्स भी सम्मिलित किए जा सकते है। यह प्रयास किया जाएगा कि खण्ड स्तरीय प्रशिक्षक प्राथमिकता के तौर पर महिलाएं हों। उत्तर

प्रदेश में 'आशा' के प्रशिक्षण का पूर्ण कार्य राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगरद्व लखनऊ के स्तर से किया जायेगा।

(10) **प्रशिक्षण दलों का गठनः**-(क) राज्य, जनपद, खण्ड तीनों स्तरों पर तीन-चार सदस्यों का प्रशिक्षण दल गठित किया जाएगा। जनपद/खण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कार्य करने वाले एन0जी0ओ0 को प्रशिक्षण चिन्हित करने एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संचालित करने का उत्तरदायित्व सौपा जा सकता है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने/प्रदान करने के दिनों में विशेष मानदेय की व्यवस्था होगी। यही व्यवस्था राज्य स्तर पर भी लागू होगी।

(ख) **सतत प्रशिक्षण तथा कौशल वृद्धिः-** राज्य द्वारा प्रत्येक जनपद में एक रिसोर्स एजेन्सी (प्राथमिकता के तौर पर एन0जी0ओ0) चिन्हित की जाएगी, जो 'आशा' को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए ऐसी सामग्री विकसित करेगी जो 'आशा' के सामुदायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यो में सहयोगी सिद्व होगी।

(ग) **प्रशिक्षण स्थलः**-प्रशिक्षण का स्थान समीपस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या पंचायत भवन आदि हो सकता है। एक प्रशिक्षण समूह, में 25-30 प्रतिभागी भाग लेंगे।

राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ, परिवार कल्याण महानिदेशालय के राज्य प्रशिक्षण अनुभाग से सहयोग करके प्रशिक्षण के संचालन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के कार्य को संचालित करेगा।

(11) **आशा को प्रतिपूर्ति राशि**

(क) आशा मानद (ऑनरेरी) कार्यकर्ता होगी तथा उसे कोई नियत वेतन या मानदेय प्राप्त नहीं होगा। उसके द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यो को इस प्रकार से निरूपित किया जाएगा जो उसके सामान्य जीवन यापन में हस्तक्षेप न करें।

(ख) निम्नलिखित स्थितियों में आशा को प्रतिपूर्ति राशि दी जायेगी:-

1- यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता-प्रशिक्षण के दौरान।

2- अलग-अलग कार्यक्रमों की गतिविधियों/मासिक अथवा द्विमासिक प्रशिक्षण/बैठक आदि हेतु विशिष्ट भुगतान। प्रशिक्षण/बैठक हेतु भुगतान स्थल पर ही किया जाना होगा।

3- विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत जहाँ स्वास्थ्य कर्मी के अतिरिक्त किसी स्वैच्छिक कार्यकर्ता को लिया जाना है, वहाँ आशा को प्राथमिकता दी जाएगी तथा कार्यक्रम विशेष में दिए गए प्राविधान के अनुसार ही मानदेय देय होगा।

4- किसी गर्भवती महिला को शीघ्र पंजीकरण कराने, टी0टी0 के दो टीके लगवाने, कम से कम तीन जाँचे करवाने, आयरन की गोलियाँ नियमित रूप से खिलवाने, घर पर सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने, नवजात शिशु की अनिवार्य देखभाल (वजन लिवाने सहित) सुनिश्चित करने तथा नवजात को बी0सी0जी0 का टीका लगवाने के पश्चात् प्रत्येक आशा को रू0 200/- की नियत धनराशि देय होगी। यदि यही प्रसव संस्थागत भी होता है तो रू0 200/-

की अतिरिक्त धनराशि (यात्रा व्यय सम्मिलित करते हुए) देय होगी।

5- प्रसव के पश्चात् केवलस्तनपान को बढ़ावा देने तथा एक माह केअन्दर माँ एवं बच्चे को कम से कम दो बार देखभाल करने पर उसे रू0 50/- की धनराशि देय होगी।

6- किसी भी गर्भवती महिला/नवजात शिशु को जटिलता की स्थिति में प्रथम संदर्भन इकाई ले जाने/पहुँचाने की स्थिति में कम से कम रू0 200/- की विशेष धनराशि (यात्रा व्यय सम्मिलित करते हुए) देय होगी।

7- गॉव में किसी भी पुरूष/महिला/बच्चे को शारीरिक रूप से अधिक रूग्ण होने की स्थिति में चिकित्सालय पहुँचाने की स्थिति में भी कम से कम रू0 100/- की विशेष धनराशि देय होगी।

8- यदि आशा एक वर्ष की आयु तक के बच्चे को पोलियो/डी0पी0टी0 केतीनों टीके, खसरे का टीका तथा विटामिन ए की प्रथम खुराक दिलवा देती है तो उसे रू0 50/- की धनराशि दिया जायेगा।

9- यदि आशा तीन वर्ष की आयु तक के बच्चे में पूर्ण टीकाकरण के साथ-साथ, विटामिन ए की पाँचों खुराकें तथा डी0टी0 की खुराक भी दिलवा देती है तो उसे रू0 50/- की धनराशि दिया जायेगा।

10- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला को पूरी प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव तथा प्रसव पश्चात देखभल सुनिश्चित करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आशा को रू0 600/- की विशेष धनराशि (लाभार्थी एवं स्वयं का यात्रा व्यय भोजन आदि का व्यय सम्मिलित करते हुए) देय होगी।

11- परिवार नियोजन कार्यक्रमों में महिला एवं पुरूष नसबन्दी कराने तथा कॉपर-टी लगवाने पर भी आशा को विशेष धनराशि (लाभार्थी एवं स्वयं का यात्रा व्यय, भोजन, रूकने आदि का व्यय सम्मिलित करते हुए) निम्नवत दरों के अनुसार दी जायेगी।

-दो बच्चों पर नसबन्दी कराने पर	रू0 400/-
-तीन बच्चों अथवा अधिक पर नसबन्दी कराने पर	रू0 300/-
-दो बेटियों पर नसबन्दी कराने पर	रू0 500/-
-कॉपर-टी लगवाने पर	रू0 50/-

12- गॉव में समूह बैठक करने के लिए रू0 100/रू0 प्रति बैठक 200/-12 बैठकों हेतु।

13- पुरस्कार आदि के रूप में कैश धनराशि।

14- दवाओं से युक्त किट आदि प्रदान किया जाना।

उक्त कार्यो हेतु जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राविधानित रू0 5,000/- की आवर्ती (इम्प्रेस्ट) धनराशि, उपकेन्द्र स्तर पर उपलब्ध रू0 10,000/-की मुक्त धनराशि (अनटाइड फण्ड)

तथा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विशेष गतिविधियों में उपलब्ध धनराशि से आशा का भुगतान किया जा सकेगा।

(12) आशा के लिये वित्त-प्रवाह कियाविधि

आशा के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बैठक/अन्य कार्यों हेतु भारत सरकार से धनराशि राज्य स्तर पर कार्यरत स्कोवा तथा यहाँ से जनपदीय स्वास्थ्य सोसाइटी को भेजी जाएगी। जनपदीय स्वास्थ्य सोसाइटी से यह धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर एक रिवाल्विंग फण्ड के रूप में अवमुक्त की जाएगी। आशा को विभिन्न सम्पादित कार्यों हेतु देय मानदेय हेतु दिशा निर्देश जनपद स्तरीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर से प्रदान किए जायेंगे। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों व योजनाओं के अधीन कार्यक्रम में प्राविधानित नियत प्रतिपूरक राशि आशा को प्रदान की जायेगी तथा प्रशिक्षण के दौरान उसे यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता प्रशिक्षण स्थल पर ही देय होगा।

(13) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

आशा योजना में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन निम्न संकेतकों के आधार पर किया जायेगा।

(क) प्रकिया संकेतक

1- नियत प्रकिया द्वारा चयनित आशा की संख्या।

2- प्रशिक्षित की गयी आशा की संख्या।

3- एक वर्ष के बाद समीक्षा बैठकों में भाग लेने वाली आशा का प्रतिशत।

(ख) परिणाम संकेतक

1- प्रतिशत - नवजात बच्चों जिनका वजन किया गया और उन परिवारों का जिन्हें परामर्श दिया गया ।

2- प्रतिशत - दस्त पीड़ित बच्चों का जिन्हें ओ0आर0एस0 दिया गया हो।

3- प्रतिशत - प्रसव जो प्रशिक्षित दाई या चिकित्सा कर्तियों द्वारा कराये गये।

4- प्रतिशत - संस्थागत प्रसवों का।

5- प्रतिशत - आशा द्वारा दिये गये जननी सुरक्षा योजना लाभार्थियों का।

6- प्रतिशत - एक वर्ष से दो वर्ष की आयु के बीच पूर्ण टीकाकरण का।

7- प्रतिशत - गर्भ निरोधक अपूरित जरूरत का जो निर्धनता की रेखा से नीचे है।

8- प्रतिशत - मलेरिया प्रभावी क्षेत्रों में पहले सप्ताह के भीतर क्लोरोक्विन लेने वाले रोगियों में बुखार के रोगियों का।

(ग) प्रभावी संकेतक

1-- शिशु मृत्यु दर।
2-- बाल कुपोषण दर।
3-- गत वर्ष की तुलना में पता लगाये गये टी0बी0 / कुष्ठ रोगों की संख्या।

(14) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विकसित एम0आई0एस0 द्वारा प्रकिया / परिणा संकेतकों पर समयबद्व सूचनाएं एकत्रित की जाएगी परन्तु प्रभावी संकेतकों की सूचना आ0 सी0 एच0-कार्यकम के अन्तर्गत नियोजित जनपदीय सर्वे (डी0आर0एच0एस0) के माध्यम से प्राप्त होगी मासिक / पाक्षिक बैठकों के दौरान ए0एन0एम0 अपने क्षेत्र की समस्त आशा से उनके कार्यो की प्रगति के संबंध में सूचना एकत्रित करेगी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेगी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समस्त सूचना संकलित करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जनपदों से प्राप्त सूचना परिवार कल्याण महानिदेशालय स्तर पर संकलित की जाएगी तथा संकलित सूचना महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा उ0प्र0 शासन एवं भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी।

(15) ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन-2005 की अधिसूचना के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। अतः चयन की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता का प्रभाव समाप्त होने के बाद की जाय।

भवदीय,
प्रदीप कुमार मिश्र
(पी0 के0 मिश्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1122(1)/5-9-05-तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यालय: महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र सं0: प0क0/8-प्रशि0/118/आशा/2005-06/674-70 दिनांक: 16.09.2005

प्रतिलिपि समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एल0बी0 प्रसाद),
महानिदेशक,